नई परयटन नीति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **बिहार कैबिनेट** ने परयटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनागत समग्र समावेशी विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन के लिये [बिहार परयटन नीति 2023](https://www.drishtiias.com/hindi) को स्वीकृति दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- इस नीति का उद्देश्य राज्य में **परयटन स्थलों के पास मूलभूत बुनियादी ढाँचे का विकास करने तथा** हितधारकों के लिये प्रावधान भी शामिल हैं।
- **नई नीति में निवेशकों के लिये कई वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं–**
  - 10 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिये 30% की सब्सिडी।
  - 50 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिये 25%।
  - 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 25% (अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए)।
  - भूमि के पट्टे, बिक्री, हस्तांतरण में स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क पर एक मुश्त 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की सुविधा।
  - 5 वर्ष तक वाणिज्यिक संचालन पर वस्तु और सेवा कर (GST) की 80% प्रतिपूर्ति।
  - नई परयटन इकाइयों के लिये 5 वर्षों तक विद्युत शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति।
  - सूचीबद्ध होटल, रिसॉर्ट, टूर ऑपरेटर को परयटक गाइडों को रोज़गार प्रदान करने के लिये भी प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
  - किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एजेंसी से हरित प्रामाणीकरण प्राप्त करने पर 10 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर 50 प्रतिशत, दो वर्ष पूरा होने पर 25 प्रतिशत तथा पाँच वर्ष होने पर 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- **गया में विष्णुपद मंदिर** के पास शेड और बस डिपो के साथ वैकल्पिक पहुँच पथ के निर्माण के लिये 62 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है।

बिहार में प्रसिद्ध परयटक स्थल: बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर, राजगीर में विश्व शांति स्तूप, नालंदा, प्राचीन शहर पाटलिपुत्र, पश्चिम चंपारण में वाल्मिकी नगर टाइगर रिज़र्व आदि।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-tourism-policy-5